COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

CANCELLED CANCELLED

## समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्डपीट जबलपुर (म0प्र0)

प्रकरण कमांक नं0 /2015 नि. /3683-I-15

आवेदकगण : 1. अनुरूद्ध सिंह पिता स्व. श्री ओंकार सिंह
2. संत सिंह पिता स्व. श्री ओंकार सिंह (मृत)
3. अजयपालन सिंह पिता स्व. श्री ओंकार सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री ओंकार सिंह

सभी निवासी– मालगुजारी बकरी, गोरखपुर तहसील व जिला जबलपुर (म0प्र0) सभी के द्वारा मुख्त्यार उमाशंकर सेन पिता स्व. रघुवीर सेन निवासी– गोरखपुर, लोधी मोहल्ला जबलपुर (म0प्र0)

श्री ........ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ........
16 OCT 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

उत्तरवादी : म0प्र0 शासन द्वारा एस. डी. एम
गोरखपुर, जबलपुर (म0प्र0)

557

## पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा. संहिता

आवेदकगण निम्नलिखित निवेदन करते है :–

1. यह कि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण कंमाक 35/अ–6/2013–14 अनुरूद्ध सिह विरूद्ध म0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 08/07/2015 से बिक्षुब्द होकर प्रस्तुत की जा रही है जो कि अनुविभागीय अधिकारी संभाग गोरखपुर के द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया है। जिसके पश्चात आवेदक द्वारा एक आवेदन अतिरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर के समक्ष धारा 32 म0प्र0 का प्रस्तुत किया गया है जिसको न्यायालय द्वारा 07/10/2015 को पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध होने के कारण निरस्त किर दिया गया।

OATH COMMISSIONER Smt. SUMAN ... JABALPUR 16/10/15

2. यह कि, आवेदकगण द्वारा माननीय अधीनस्थ में एक अपील नायब तहसीलदार गोरखपुर के राजस्व मामला कमांक 13/सन् 2010–11 अभिलेख दुरूस्त करने बावत् प्रकरण की श्रेणी अ–6–अ ग्राम गोरखपुर के ... /2011 से विक्षुब्ध होकर माननीय न्यायालय के

**XXXIX(a)BR(H)-11**

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3683–एक/15

जिला – जबल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ता |
|---|---|---|
| 23-12-15 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन बुलाए जाने संबंधी आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया है कि पूर्व में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिया जा चुका है कि चाही गई जांच रिर्पोट हल्का पटवारी से संबंधित होने से पटवारी से रिर्पोट ली जाये । उन्होंने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि पटवारी से रिर्पोट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है इस कारण अब पटवारी/राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है उक्त आधार पर उन्होंने आवेदक के आवेदन को निरस्त किया है । उनके इस आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । पटवारी रिकार्ड और राजस्व निरीक्षक के रिकार्डों में क्या विरोधाभाष है इस संबंध में कोई दस्तावेज आवेदक की ओर से पेश नहीं किये गये हैं । ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई कारण नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।<br><br>सदस्य | |